②

याचिका क्रमांक - 43837 / 2025 (PIL)

माननीय मध्यप्रदेश उच्च न्यायलय खंडपीठ इंदौर के समक्ष

आवेदक / प्रार्थी - चर्चित शास्त्री पिता राजशेखर शास्त्री
उम्र – 30 वर्ष व्यवसाय – वकालत
निवासी – 3/1 कैलाश मार्ग, मल्हारगंज
जिला इंदौर (म.प्र.)

विरुद्ध

अनावेदक / प्रतिप्रार्थी -

1. मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी,
जिला इंदौर (म.प्र.)
2. नगर पालिक निगम इंदौर तर्फे आयुक्त,
जिला इंदौर (म.प्र.)
3. पुलिस आयुक्त जिला इंदौर,
पुलिस कोमिश्नरेट इंदौर (म.प्र.)
4. अविरल हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 3 ए शांतिनाथपुरी वार्ड न. 82 इंदौर (म.प्र.)
5. तुलसी वरदान हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 2, ओमकार मार्ग गांधीनगर इंदौर (म.प्र.)
6. रॉयल केयर हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 16, हाजी कॉलोनी, खजराना इंदौर (म.प्र.)
7. ब्रीथ केयर हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 1 सी शुभम पैलेस छोटा बांगड़दा इंदौर (म.प्र.)
8. गीतांजली हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- रामचंद्र नगर चौराहा इंदौर (म.प्र.)
9. अलहयात हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 958/1 ग्राम खजराना इंदौर (म.प्र.)
10. फील हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 132 सी नूरानी नगर इंदौर (म.प्र.)
11. मेट्रो हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- अंतिम चौराहा इंदौर (म.प्र.)

07/11/25
Adit Raghuvanshi
No. MP/4740/21

Adit

07/11/25

12. श्रीपद हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 4 ए, स्वास्तिक नगर इंदौर (म.प्र.)
13. सिटी नर्सिंग होम हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- जवाहर मार्ग इंदौर (म.प्र.)
14. आयुष्मान हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 13 ए नगीन नगर इंदौर (म.प्र.)
15. अमोल हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 20/1 यशवंत निवास रोड इंदौर (म.प्र.)
16. ऐश्वर्य हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 479, ग्रेटर ब्रजेश्वरी इंदौर (म.प्र.)
17. प्रशांति हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 124, सिमरोल रोड, महू, इंदौर (म.प्र.)
18. स्टार हेल्थ हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 1015-433-1 खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.)
19. पल्स हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 102, माणिक बाग रोड, इंदौर (म.प्र.)
20. मस्क हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 335 बी सी स्कीम 140 पिपलियाहाना इंदौर (म.प्र.)
21. श्री जी हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 10-20 यशवंत निवास रोड इंदौर (म.प्र.)
22. नक्षत्र हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 37 एफ ए स्कीम 94 रिंग रोड इंदौर (म.प्र.)
23. जेनिथ हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- सी 202 गुलमर्ग प्राइड कनाडिया रोड इंदौर (म.प्र.)
24. शिफा हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 695, झाला कॉलोनी खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.)
25. श्रीहरी हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
    पता- 288, अम्बिकापुरी एक्सटेंशन एअरपोर्ट रोड इंदौर (म.प्र.)

Advt.

26. नाहर केयर हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 2, अमीना मार्केट खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.)
27. चौधरी हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 60, धार रोड, बेटमा इंदौर (म.प्र.)
28. सुन्दरम हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 728, उषा नगर इंदौर (म.प्र.)
29. मुल्तानी हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 105, कमल नगर राऊ इंदौर (म.प्र.)
30. सिटीजन हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 1, कान्यकुब्ज नगर इंदौर (म.प्र.)
31. द्वारकाधीश हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- ग्राम कछालिया सावेर इंदौर (म.प्र.)
32. एच जे मेमोरियल हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 2, गुलजार कॉलोनी इंदौर (म.प्र.)
33. आनंद हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 7, सिन्धी कॉलोनी इंदौर (म.प्र.)
34. निर्मला हॉस्पिटल तर्फे प्रबंधक
पता- 36, बरौली तह सांवेर जिला इंदौर (म.प्र.)
35. म.प्र राज्य तर्फे प्रमुख सचिव,
नगरीय प्रशासन एवं आवास विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
36. म.प्र राज्य तर्फे प्रमुख सचिव,
चिकित्सा एवं स्वास्थ विभाग
वल्लभ भवन मंत्रालय, भोपाल (म.प्र.)
37. श्रीमान थाना प्रभारी
पुलिस थाना गांधीनगर जिला इंदौर (म.प्र.)
38. श्रीमान थाना प्रभारी
पुलिस थाना द्वारकापुरी जिला इंदौर (म.प्र.)
39. श्रीमान थाना प्रभारी
पुलिस थाना आजाद नगर जिला इंदौर (म.प्र.)

ASHOK KUMAR ★ COMMISSIONER INDORE

Adit

(5)

रिट (जनहित) याचिका अंतर्गत भारतीय संविधान अनुच्छेद 226

1. **विवाद / आदेश का विवरण जिसके विरुद्ध याचिका प्रस्तुत की गयी है –**
   - i) **आदेश दिनांक –** ~~28/10/2025~~ NIL
   - ii) **प्रकरण जिसमे आदेश पारित किया गया –** ~~WP/33802/2025~~ NIL
   - iii) **किसके द्वारा आदेश पारित किया गया –** ~~माननीय उच्च न्यायलय मध्यप्रदेश खंडपीठ इंदौर~~ NIL Advt 17.11.25
   - iv) **विषय वस्तु संक्षेप में –**

1. याचिकाकर्ता, श्री चर्चित शास्त्री द्वारा श्रीमान मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी जिला इंदौर के समक्ष सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत वर्ष 2024 में जिला इंदौर स्थित समस्त हॉस्पिटल के रजिस्ट्रेशन के सम्बन्ध में जानकारी प्रदाय करने के लिए आवेदन किया था।

2. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी इंदौर द्वारा अस्पतालो के सम्बंधित रजिस्ट्रेशन के दस्तावेज याचिकाकर्ता को दिए गये जिसमे निम्नलिखितअस्पतालो के सम्बन्ध में रजिस्ट्रेशन से सम्बंधित समस्त दस्तावेज प्रदान किये जिसमे निम्न उल्लेखित अस्पतालों के नगर पालिका निगम इंदौर का भवन अनुमति प्रमाण पत्र संलग्न था चूँकि उक्त कॉलोनी अवैध है इसलिए याचिकाकर्ता द्वारा उक्त भवन अनुमति प्रमाण पत्र की प्रमाणिकता एवं सत्यता के लिए नगर पालिका निगम इंदौर में दिनांक को उक्त अस्पतालो के भवन अनुमति प्रमाण पत्र के लिए सुचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 6(1) के अंतर्गत आवेदन किया गया एवं साथ निम्न अस्पतालों के फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र भी प्रदाय किये गये।

3. यह कि, नगर पालिका निगम इंदौर द्वारा निम्न उल्लेखित अस्पतालो के सम्बन्ध में याचिकाकर्ता को जवाब दिया गया जिसमे बताया गया कि उक्त कॉलोनी अवैध कॉलोनी की श्रेणी में आती है जिसमे कोई भवन अनुमति प्रमाण पत्र नही दिया जाता है तथा साथ ही याचिकाकर्ता के द्वारा जिन अस्पतालों के सम्बन्ध फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र जारी किये गये उनकी प्रमाणिकता के लिए जो पत्र जारी किये गये थे उनके समबन्ध में प्रमाण पत्र प्रदाय करने वाली फर्मो से संपर्क किये जाने पर जानकारी मिली कि या तो वह फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी है या किसी अस्पतालों के द्वारा

Advt.

संलग्न फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र पुराने वर्षो के संलग्न है निम्न अस्पतालों के द्वारा प्रमाण पत्र का नवीनीकरण नहीं करवाया गया है!

4. यह कि, उक्त जवाब से स्पष्ट हो गया था किअस्पतालो संचालको द्वारा नगर पालिका निगम इंदौर के लैटरपेड पर कुटरचना कर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत दंडनीय अपराध है तथा जिनके द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी रूप से तैयार किये या नवीनीकरण नहीं करवाया गया अथवा जिनके द्वारा फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र बनवाए ही नहीं किये गये है या अस्पताल संचालित करने के सुरक्षा मानको को नजर अंदाज किया है, ऐसे अस्पतालों के रजिस्ट्रेशन तत्काल रूप से निरस्त किये जाने चाहिए!

5. यह कि, याचिकाकर्ता द्वारा मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी इंदौर,आयुक्त नगर पालिका निगम इंदौर, भवन अधिकारी झोन नगर पालिका निगम इंदौर, जिलाधीश जिला इंदौर,पुलिस आयुक्त जिला इंदौर, अपर आयुक्त भवन अनुज्ञा शाखा नगर पालिका निगम इंदौर को शिकायती आवेदन दिया गया था!

6. यह कि, इतने गंभीर अपराध होने के बाद भी आज दिनांक तक किसी भी जिम्मेदार द्वारा कोई कार्यवाही अस्पताल या अस्पताल संचालको पर नही की गयी है!

7. यह कि, जिम्मेदारो द्वारा अस्पताल संचालको को बचाने का प्रयास किया गया जिसके बाबद याचिकाकर्ता द्वारा माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष यह याचिका दायर की गयी है!

8. यह कि, इस याचिका के पूर्व भी याचिका क्रमांक WP/33802/2025 अविरल हॉस्पिटल 3 ए शांतिनाथपुरी वार्ड न. 82 इंदौर के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की गयी थी जिसमे सिंगल बेंच द्वारा दिनांक 02/09/2025 आदेश दिया गया जिसमे पुलिस को दिशा निर्देश दिए गये कि शिकायत प्राप्त होने के बाद जांच कर यदि कोई अपराध पाया जाता है तो वैधानिक कार्यवाही करने के सम्बन्ध में निर्देश दिए!

Adv

9. उक्त याचिका के आदेश के पश्चात् अविरल हॉस्पिटल के संचालको द्वारा उक्त आदेश से व्यथित होकर एक याचिका क्रमांक WA/2933/2025 माननीय न्यायालय के समक्ष दायर की गयी जिसकी सुनवाई डिवीज़न बेंच के द्वारा की गयी जिसमे दिनांक 13/10/2025 को आदेश दिया गया जिसमे उक्त समस्या को एक जनहित का मुद्दा मानकर न्यायालय द्वारा पूर्व की याचिका WP/33802/2025 को जनहित याचिका में परिवर्तित किया गया!

10. जनहित याचिका में परिवर्तित होने के बाद याचिकाकर्ता द्वारा न्यायालय को बताया गया कि अविरल हॉस्पिटल के साथ ही इंदौर के अन्य भी कई अस्पताल है जिनके द्वारा शासन प्रशासन के साथ इस तरह की धोखाधड़ी की गयी है जिसमे जनता की सुरक्षा के समबन्ध कई तरह के सुरक्षा मानको को नजरअंदाज किया गया है जिसमे मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी भी समान रूप से शामिल है जिसके बाद माननीय न्यायालय द्वारा दिनांक 28/10/2025 को आदेश दिया गया कि इस सम्बन्ध में इस तरह का कृत्य करने वाले अस्पतालों को प्रतिप्रार्थी बनाकर एक नयी जनहित याचिका दायर की जानी चाहिए जिसके बाद यह याचिका उन सभी अस्पतालों के प्रबंधको को प्रतिप्रार्थी बनाकर दायर की गयी है!

2. **<u>घोषणा - इसी विषयवस्तु पर पूर्व में किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण अथवा अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही संस्थापित नही की गयी है! यदि एसी कोई कार्यवाही संस्थापित की गयी हो, तो उसकी स्थिति या परिणाम तथा आदेश की प्रति संलग्न की गयी है!</u>**

याचिकाकर्ता द्वारा यह घोषित किया जाता है कि इसी विषयवस्तु पर पूर्व में किसी भी न्यायालय, प्राधिकरण अथवा अधिकरण के समक्ष कोई कार्यवाही संस्थापित नही की गयी है!

3. **<u>उपचार के उपयोग में की गयी विधियों का विवरण –</u>**

याचिकाकर्ता द्वारा यह घोषित किया जाता है कि प्रतिवादियो पर प्रस्तावित कार्यवाही के विरुद्ध कोई वैकल्पिक उपाय उपलब्ध नही है, अतः इस माननीय न्यायालय का आश्रय लेना ही एकमात्र विकल्प है!

4. **<u>याचिका दायर करने में यदि कोई विलम्ब हुआ हो, तो उसका विवरण एवं स्पष्टीकरण –</u>**

Adit

याचिकाकर्ता यह घोषणा करता है कि माननीय उच्च न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गयी वर्तमान याचिका दायर करने में कोई विलंभ नही हुआ है!

5. <u>प्रकरण के तथ्य –</u>

i) यह कि, याचिकाकर्ता भारत का एक कानून का पालन करने वाला तथा उत्तरदायी नागरिक है जिसकी समाज के प्रति भी जिम्मेदारी है, नागरिको के स्वास्थ के साथ हो रहे खिलवाड़ के समबन्ध में सभी प्रतिवादीगण के समक्ष शिकायत करने के बावजूद कोई संतुष्ट कार्यवाही नही करने से जो विवश होकर इस माननीय न्यायालय की शरण में आया है!

ii) यह कि, याचिकाकर्ता को जो मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी जिला इंदौर के द्वारा जिले में स्थित निम्न अस्पतालों के दस्तावेज प्रदाय किये गये जिनमे याचिकाकर्ता द्वारा विश्लेषण करने पर जो समस्याए अथवा अनियमितता पांई गयी जो कि निम्नलिखित है –

1. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **अविरल हॉस्पिटल** पता- 3 ए शांतिनाथपुरी वार्ड न. 82 इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल प्रबंधक द्वारा फर्जी रूप से नगर निगम के फर्जी लेटर पेड पर भवन अनुमति प्रमाण पत्र तैयार किया गया साथ ही उक्त अस्पताल का वर्तमान रजिस्ट्रेशन भी स्वास्थ विभाग के दस्तावेजो में नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/ 4** पर संलग्न है!

2. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **तुलसी वरदान हॉस्पिटल** पता- 2, ओमकार मार्ग गांधीनगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का भवन अनुमति प्रमाण पत्र एवं फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/ 5** पर संलग्न है!

3. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **रॉयल केयर हॉस्पिटल** पता- 16, हाजी कॉलोनी, खजराना इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी रूप से तैयार किया गया है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/ 6** पर संलग्न है!

4. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **ब्रीथ केयर हॉस्पिटल** पता 1 सी शुभम पैलेस छोटा बांगड़दा इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी रूप से तैयार किया गया है एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/ 7** पर संलग्न है!

5. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **गीतांजली हॉस्पिटल** पता- रामचंद्र नगर चौराहा इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र आवासीय उपयोग हेतु है किन्तु उक्त स्थान पर अस्पताल संचालित हो रहा है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/8** पर संलग्न है!

6. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **अलहयात हॉस्पिटल** पता- 958/1 ग्राम खजराना इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र फर्जी रूप से तैयार किया गया है एवं कुटरचित है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/9** पर संलग्न है!

7. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **फील हॉस्पिटल** पता- 132 सी नूरानी नगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/10** पर संलग्न है!

8. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **मेट्रो हॉस्पिटल** पता- अंतिम चौराहा इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/11** पर संलग्न है!

9. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **श्रीपद हॉस्पिटल** पता- 4 ए, स्वास्तिक नगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/12** पर संलग्न है!

यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **सिटी नर्सिंग होम** हॉस्पिटल पता- जवाहर मार्ग इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/13** पर संलग्न है!

11. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **आयुष्मान हॉस्पिटल** पता- 13 ए नगीन नगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/14** पर संलग्न है!

12. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **अमोल हॉस्पिटल** पता- 20/1 यशवंत निवास रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल वर्तमान भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/15** पर संलग्न है!

13. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **ऐश्वर्य हॉस्पिटल** पता- 479, ग्रेटर ब्रजेश्वरी इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/16** पर संलग्न है!

14. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **प्रशांति हॉस्पिटल** पता- 124, सिमरोल रोड, महू, इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/17** पर संलग्न है!

15. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **स्टार हेल्थ हॉस्पिटल** पता- 1015-433-1 खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/18** पर संलग्न है!

16. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **पल्स हॉस्पिटल** पता- 10[illegible] माणिक बाग रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल वर्तमान भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/19** पर संलग्न है!

17. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **मस्क हॉस्पिटल** पता- 335 बी सी स्कीम 140 पिपलियाहाना इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/20** पर संलग्न है!

18. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **श्री जी हॉस्पिटल** पता- 10-20 यशवंत निवास रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/ 21** पर संलग्न है!

19. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **नक्षत्र हॉस्पिटल** पता- 37 एफ ए स्कीम 94 रिंग रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/22** पर संलग्न है!

20. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **जेनिथ हॉस्पिटल** पता- सी 202 गुलमर्ग प्राइड कनाडिया रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/23** पर संलग्न है!

21. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **शिफा हॉस्पिटल** पता- 695, झाला कॉलोनी खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/24** पर संलग्न है!

22. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **श्रीहरी हॉस्पिटल** पता- 288, अम्बिकापुरी एक्सटेंशन एअरपोर्ट रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय

Adv.

किये गये उसमें उक्त अस्पताल का भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/25** पर संलग्न है!

23. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **नाहर केयर हॉस्पिटल** पता- 2, अमीना मार्केट खजराना मेन रोड इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/26** पर संलग्न है!

24. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **चौधरी हॉस्पिटल** पता- 60, धार रोड, बेटमा इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/27** पर संलग्न है!

25. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **सुन्दरम हॉस्पिटल** पता- 728, उषा नगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/28** पर संलग्न है!

26. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **मुल्तानी हॉस्पिटल** पता- 105, कमल नगर राऊ इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/29** पर संलग्न है!

27. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **सिटीजन हॉस्पिटल** पता- 1, कान्यकुब्ज नगर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/30** पर संलग्न है!

28. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **द्वारकाधीश हॉस्पिटल** पता- ग्राम कछालिया सावेर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र एवं भवन अनुमति प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/31** पर संलग्न है!

29. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **एच जे मेमोरियल हॉस्पिटल** पता- 2, गुलजार कॉलोनी इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का वर्तमान वर्ष का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/32** पर संलग्न है!

30. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **आनंद हॉस्पिटल** पता- 7, सिन्धी कॉलोनी इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/33** पर संलग्न है!

31. यह कि, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी द्वारा **निर्मला हॉस्पिटल** पता- 36, बरौली तह सांवेर इंदौर (म.प्र.) के सम्बन्ध में जो दस्तावेज प्रदाय किये गये उसमें उक्त अस्पताल का फायर सेफ्टी प्रमाण पत्र नहीं है! उक्त प्राप्त दस्तावेज **एनेक्सचर पी/34** पर संलग्न है!

32. यह कि, उक्त सभी अस्पतालों द्वारा शासन अथवा स्वास्थ विभाग द्वारा निर्मित सुरक्षा मानको को नजर अंदाज कर फर्जी रूप से अस्पतालों को संचालित किया जा रहा है अथवा कुछ अस्पतालों द्वारा फर्जी रूप से अत्यंत आवश्यक दस्तावेज कूटरचित रूप से तैयार कर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया है और कुछ अस्पतालों द्वारा रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के लिए दस्तावेज तो बनवा लिए गये किन्तु रजिस्ट्रेशन प्राप्त करने के पश्चात् उक्त दस्तावेजो नवीनीकरण करवाए बिना उनको को फर्जी रूप से तैयार किया गया या उन्हें नवीनीकरण किया ही नहीं किया इस सम्पूर्ण कृत्य के लिए सभी अस्पताल प्रबंधन तो जिम्मेदार है ही साथ मुख्य चिकित्सा स्वास्थ अधिकारी इंदौर भी इस कृत्य में समान रूप से जिम्मेदार है जिनकी जिम्मेदारी इन सभी गतिविधियों पर अंकुश लगाना है परन्तु जिनके द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वाहपुर्वक कार्य नहीं किया गया!

33. यह कि, प्रतिवादीगण द्वारा याचिकाकर्ता की शिकायतों के निरंतर विलंबित किये जाने के कारण याचिकाकर्ता के पास अन्य कोई प्रभावी वैकल्पिक उपाय शेष

...रह गया है अपितु भारत के संविधान के अनुच्छेद 226 के अंतर्गत इस माननीय ...यालय की शरण लेना उसकी बाध्यता हो गयी है!

34. यह कि, इस माननीय न्यायालय को वर्तमान याचिका की सुनवाई करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है क्योकि उत्पन्न वाद कारण उसकी क्षेत्रीय अधिकारिता के भीतर उत्पन्न हुआ है तथा प्रतिवादी प्राधिकरणों का मुख्यालय इंदौर के अंतर्गत स्थित है!

6. <u>आधार –</u>

वर्तमान याचिका निम्नलिखित आधारों सहित अन्य आधारों पर प्रस्तुत की जा रही है-

i) चूँकि, याचिकाकर्ता की उक्त उल्लेखित तमाम शिकयतो के बावजूद प्रतिवादीगण द्वारा किसी भी प्रकार की कोई कार्यवाही नही की गयी होकर अस्पताल संचालको द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के विरुद्ध शिकायत करने के बाद भी कोई कार्यवाही नही की जा रही है!

ii) चूँकि, प्रतिवादीगण द्वारा अस्पताल संचालको के द्वारा किये गये उक्त आपराधिक कृत्य के विरुद्ध कार्यवाही की उदासीनता दर्शाती है कि इनके द्वारा इस प्रकार के कृत्य करने वाले अपराधिक प्रवृत्ति के लोगो अथवा संस्थाओ को बढ़ावा दिया जाता है!

iii) चूँकि, प्रतिवादीगण की चुप्पी और निष्क्रियता यह दर्शाती है कि म.प्र. शासन उनके क्षेत्राधिकार के अंतर्गत की जाने वाली आपराधिक गतिविधियों पर कार्यवाही करने अथवा लगाम लगाने की दिशा में किसी भी प्रकार का कोई कदम उठाने को तैयार नही है!

iv) माननीय उच्च न्यायालय के आदेश के अनुसरण में यह याचिका माननीय न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की जा रही है जिस पर याचिकाकर्ता को पूर्ण विश्वास है कि माननीय न्यायालय इंदौर शहर में जारी लोगो के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले अस्पतालों एवं आधिकारिक रूप से जिम्मेदार अधिकारियो के विरुद्ध कड़ी कड़ी कार्यवाही आदेशित की जावेगी!

7. **याचिकाकर्ता द्वारा प्रार्थित राहते –**

उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों के दृष्टिगत, याचिकाकर्ता अत्यंत आदरपूर्वक प्रार्थना करता है कि यह माननीय न्यायालय कृपया निम्नलिखित आदेश पारित करने की कृपा करे –

प्रतिवादियो को निर्देशित करने हेतु एक परमादेश रिट अथवा कोई अन्य उपयुक्त रिट / आदेश / निर्देश जारी किये जाये, जिससे प्रतिवादी याचिकाकर्ता की शिकायतों पर विधिसम्मत कार्यवाही करे तथा आवश्यक आदेश पारित करे –

i) यह कि, सभी अस्पताल संचालको द्वारा नगर पालिका निगम इंदौर के लैटरपेड पर कुटरचना कर फर्जी दस्तावेजो के आधार पर अस्पताल का रजिस्ट्रेशन प्राप्त किया जो कि भारतीय न्याय संहिता 2023की धारा 318(4), 338, 336(3), 340(2) के तहत दंडनीय अपराध है, उक्त धाराओ में अस्पताल संचालको के साथ ही इसमें शामिल सभी लोगो एवं संस्थाओ के विरुद्ध प्रकरण दर्ज करने हेतु आदेश प्रदान किया जाना आवश्यक है!

ii) यह कि, सभी अस्पताल जिनके द्वारा आम जनता के स्वास्थ एवं अस्पताल चलने के सम्बन्ध में जो भी आवश्यक सुरक्षा मानक को नहीं मानते हुए भी अस्पताल संचालित किये जा रहे है ऐसे अस्पतालों का तत्काल रूप से रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना आवश्यक है!

iii) यह कि, तत्काल रूप से प्रतिवादीगण को उचित कार्यवाही हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक है!

iv) यह कि, जिस प्रकार उक्त अस्पताल के द्वारा की गयी इतनी बड़ी धोखाधड़ी के खुलासा हुआ है इसी प्रकार इस तरह के अन्य अस्पतालों तथा इनके द्वारा की गयी अन्य प्रकार की आपराधिक गतिविधियों के विषय में शासन अंतर्गत जांच एजेंसियों को जांच हेतु आदेशित किया जाना आवश्यक है!

v) यह कि, नागरिको के स्वास्थ के साथ खिलवाड़ करने वाले लोगो एवं संस्थाओ के विरुद्ध कड़ी से कड़ी कार्यवाही करने हेतु आदेश पारित किया जाना चाहिए!

vi) यह कि, इस माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों में न्यायोचित, उचित तथा उपयुक्त समझे जाने वाले अन्य किसी आदेश अथवा आगे के आदेश पारित किये जावे!

8. अंतरिम आदेश / रिट (यदि प्रार्थना की गयी हो) -

यह कि, यह याचिका के अंतिम निराकरण में समय लगेगा अतः माननीय न्यायालय से विनम्रपूर्वक यह प्रार्थना है कि प्रथम दृष्टया जिन भी अस्पतालों को अवैधानिक रूप से संचालित किया जा रहा है उन सभी का रजिस्ट्रेशन निरस्त किया जाना चाहिए साथ ही अस्पताल के प्रबंधको पर वैधानिक कार्यवाही की जाने के साथ ही उक्त सम्पूर्ण कृत्य में जिम्मेदार शासकीय अधिकारियो पर भी वैधानिक कार्यवाही की जाने की प्रार्थना की गयी है!

9. ऐसे दस्तावेज जिन पर याचिकाकर्ता निर्भर है परन्तु जो याचिकाकर्ता के कब्जे में नही है!

10. नोटिस – निषेध

विपक्षी पक्ष द्वारा कोई केविएट नोटिस दायर किये जाने की सुचना प्राप्त नही हुई है!

Acit

स्थान : इंदौर
दिनांक : 07/ 11 / 2025

प्रस्तुतकर्ता
आवेदक / प्रार्थी तर्फे अभिभाषक
अदित रघुवंशी
एम.पी. / 4740 / 2021